राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड, भीलवाड़ा।

(यह प्रपत्र अहस्तानान्तरणीय हैं तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावें, उसी के प्रयोजनार्थ हैं)

निविदा-प्रपत्र

निविदा प्रपत्र संख्या :- एफ/मु.प्र./भील./2024/ दिनांक :-

निविदा हेतु शुल्क राशि जमा रूपये	:-	200 रु./- (दौ सौ रूपये मात्र)
निविदा हेतु दिनांक	:-	26-06-2024
निविदा खोलने का समय	:-	15:30 बजे
निविदा प्राप्ति समय एवं दिनांक	:-	दिनांक 26-06-2024 को 15:00 बजे तक

आगार कि वाहनों का मरम्मत कार्य आवंटन कि निविदा शर्ते निम्नानुसार हैं :-

1. वाहनों के मरम्मत कार्य अस्थाई तौर (अनुबंध) पर एक वर्ष (अस्थाई रूप से) दिया जाएगा, जो कि निगम प्रशासन को आवश्यकता होने पर अवधि के मध्य में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, ऐसी स्थिति में अनुबंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा किसी भी न्यायालय में निगम के विरुद्ध किसी प्रकार का वाद दायर नहीं करेगा।
2. अनुबंधित ठेकेदार/फर्म द्वारा अनुबंध होने पर (500/-)पांच सौ रूपये के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर एक वर्ष (अस्थाई रूप से) निर्धारित शर्तो के अनुरूप लिखित में अनुबंध करना होगा। कार्य संतोषजनक होने कि स्थिति में निगम नियमानुसार अवधि आगे बढ़ाये जाने का अधिकार निगम प्रशासन को होगा।
3. निविदादाता को अर्नेस्ट मनी के रूप में 5000/- रूपये नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा मुख्य प्रबंधक कार्यालय में निविदा प्रपत्र के साथ जमा कराना होगा, जो कि निविदादाताओं के निविदा जारी नहीं होने पर 15 दिवस में पुनः लोटा दी जाएगी। निविदा जारी होने वाले निविदा दाता कि अर्नेस्ट मनी अवधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के लोटा दी जाएगी।
4. आगार कार्यशाला पारी प्रभारी/अधिकारी द्वारा वाहनों का कार्य बताये जाने पर, समय पर पूरा करना होगा, कार्य समय पर पूरा नहीं करने के स्थिति में 500/- रूपये प्रति वाहन शास्ति राशि कटौती करने का अधिकार निगम प्रशासन को होगा।
5. वाहनों का मरम्मत कार्य में वाहन दुरुस्त नहीं होने पर दोहराए जाने वाले कार्य का एक बार ही भुगतान होगा।
6. वाहनों की मरम्मत कार्य करने के पश्च्यात, कार्यशाला पारीप्रभारी के साथ वाहन की टेस्टिंग कराने पर ही वाहन कार्य के बिल का भुगतान किया जायेगा।
7. ठेकेदार/फर्म में कार्यरत कर्मचारियों कि सूची निगम प्रशासन को ठेकेदार/फर्म द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, कर्मचारी को बदलने कि स्थिति में निगम प्रशासन को पूर्व में सूचना देनी होगी।
8. ठेकेदार/फर्म में कार्यरत कर्मचारियों को कार्य के दौरान हुई किसी दुर्घटना/क्षति/हानि कि जिमेदारी स्वयं ठेकेदार/फर्म कि रहेगी।
9. ठेकेदार/फर्म में कार्यरत कर्मचारियों का रिकॉर्ड स्वयं ठेकेदार/फ़र्म द्वारा संधारित किया जायेगा।
10. ठेकेदार/फर्म में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन, पी.एफ. एवं बिमा सम्बन्धी कार्य कि जिमेदारी स्वयं ठेकेदार/फर्म कि रहेगी।
11. अपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति/फर्म मालिक/ फर्म में कार्यरत कर्मचारी से अनुबंध नहीं किया जायेगा। अनुबंध के मध्य में भी, यदि ऐसा पाया गया तो अनुबंध समाप्त करने का अधिकार निगम प्रशासन को होगा।
12. अनुबंध के क्रियान्वयन शर्तो एवं अनुबंध के निर्विचन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बिच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता हैं तो मामले के निपटारे के लिए मुख्य प्रबंधक भीलवाड़ा कि अध्यक्षता में आगारिय कमेटी एक मात्र पंच निर्णायक होगी। पंच निर्णायक कार्य क्षेत्र/कार्य स्थल भीलवाड़ा होगा।

मेरे द्वारा वाहनों के मरमत कार्य कि लागत दर निविदा फार्म में भर दी गई हैं। मैंने उपरोक्त शर्तो को पढ़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त शर्ते मुझे पूर्णतया स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हेसियत/मोहर सहित

Scanned with OKEN Scanner